जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 21.07.2021

थाना कोतवाली शामली

जनपद में गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त किया गिरफ्तारः-

आज दिनांक 21.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व मे थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 गैंगस्टर इमरान को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार गैंगस्टर के विरूद्ध जनपद के थाना आदर्श मंडी शामली पर हत्या का प्रयास, चोरी आदि के मामले दर्ज हैं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इमरान पुत्र मेहंदी हसन निवासी मौहल्ला मुस्तफाबाद थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

1. मु0अ0सं0 489/19 धारा 380,457,411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 510/19 धारा 380,457,411 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 512/19 धारा 307,414,465 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
4. मु0अ0सं0 255/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।
2.हे0का0 नरेश पाल थाना कोतवाली जनपद शामली।

थाना आदर्श मण्डी

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर सगे भाई की जमीन बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 21.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर सगे भाई की जमीन बेचकर अनुचित लाभ प्राप्त करने वाला वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 20.07.2021 को वादी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला जवाहरनगर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली द्वारा उसकी जमीन के जालसाजी तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर वादी की जगह उसके सगे भाई (अभियुक्त) द्वारा बैनामा कर जमीन विक्रय कर 2,84,000 रूपये प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना आदर्श मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- विनोद पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला जवाहरनगर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- मु0अ0सं0 94A/10 धारा 147,148,149,307,504,506 भादवि0 थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
2- मु0अ0सं0 64/11 धारा 110 G सीआरपीसी थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
3- मु0अ0सं0 149/14 धारा 147,427 भादवि0 थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
4-मु0अ0सं0 303/15 धारा 147,148,149,452,323,504 भादवि0 थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
5- मु0अ0सं0 305/17 धारा 420, 467,468,506 भादवि0 थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
6- मु0अ0सं0 375/17 धारा 420, 506 भादवि0 थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- प्रभारी निरीक्षके श्री सुनील नेगी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
2- उ0नि0 श्री राहुल सिसोंदिया थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
3- का0 नीटू थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।
4- का0 विकास सांगवान थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

03 सटोरिया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार,पर्चा-सट्टा, गत्ता व पैंसिल आदि बरामद

आज दिनांक 21.07.2021 को थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र महीपाल, बिलाल पुत्र अनीस, परवेज उर्फ औरंगजेब पुत्र अमानत खां निवासीगण कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी को 01 अवैध चाकू, पर्चा सट्टा, गत्ता, पैंसिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।